जाली चेक के भुगतान के लिए जिम्मेदारी किसकी ?

- हेमन्त गोडबोले

पृष्ठभूमि : कई बार ऐसा होता है कि बैंक का ग्राहक अपना चेकबुक खो बैठता है अथवा कोई उसका चेकबुक चुराता है व ग्राहकके नकली हस्ताक्षर करके बैंक से रुपये निकालता है।

कभी-कभी जालसाज़ चेंकबुकको चोरी से छापता है, तो कभी वह बैंकको चकमा देकर जाली हस्ताक्षर करके रुपए निकाल लेता है।

इस विषय से संबंधित निर्णयविधि (CASE LAW) के ज्ञान के अभाव के कारण ग्राहक भ्रम में पड़ता है कि रुपये किससे व कैसे वसूले।

यह लेख ऐसी भ्रामक स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से लिखा जा रहा है। विषय प्रतिपादन में यथासंभव विधि की विशिष्ट शब्दावली से बचनेका प्रयत्न किया गया है।

बैंक व ग्राहक का रिश्ता: बैंक व ग्राहक का संबंध संविदा पर (CONTRACT) आधारित है। ग्राहक के खाते में अगर रकम जमा हो, या पूर्वनिश्चित ओवरड्राफ्ट की सीमा हो, तो उसके अंदर ग्राहक के चेक द्वारा दिए हुए अनुदेश के अनुसार बैंक भुगतान करने के लिए बाध्य है।

चेक से संबंधित मुख्य पार्टियाँ :

1. चेककर्ता (DRAWER) : जो चेक काटता है यानी जो चेक पर हस्ताक्षर करके बैंक को आदेश देता है कि पैसा किस पार्टीको दे (यह ग्राहक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि होता है)
2. आदाता (PAYEE) : ऐसी पार्टी जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है व जिसको रकम देने के लिए बैंक को चेककर्ता ने आदेश दिया है।

मुख्य प्रश्न : अगर फर्जी चेक का भुगतान किया जाता है, तो यह किसकी जिम्मेदारी है ?

अब हम मूल विषय पर आते हैं। जैसाकि पृष्ठभूमि में बताया गया है, जालसाज़ चेककर्ता के हस्ताक्षर नकल करके बैंक को चकमा देता है व प्राप्त रकम का गबन करता है तो ग्राहक के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है ?

इस विषय पर काफी निर्णयविधि है। उदाहरण के तौर पर हम दो केस लेते हैं। ये दो केस इसलिए लिये गये हैं कि वे मूल प्रश्न का उत्तर तथा वहीं से उत्पन्न अनेक संलग्न प्रश्नोंका उत्तर देते हैं।

केस

1. केनरा बैंक, अपीलकर्ता बनाम केनरा सेल्स कोर्पोरेशन व अन्य-प्रतिवादी (AIR 1987, SC-1603)

तथा

2. बाबूलाल अगरवाला वादी बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर-प्रतिवादी (AIR 1989 CALCUTTA-92)

इन केसोंमें कोर्टोने मूल प्रश्न के बारे में ऐसा निर्णय दिया है कि जब बैंक को ग्राहक से हस्ताक्षरित चेक प्रस्तुत किया जाता है कि उसका भुगतान करे (अगर खातेमें रकम हो अथवा ओवरड्राफ्टका प्रावधान किया हो) परंतु अगर चेक पर हस्ताक्षर असली नहीं हो तो बैंक को ऐसा अधिदेश नहीं है। इस तरह अगर बैंक ने रकम दी हो तो ऐसी रकम उसे ग्राहक को वापस करनी होगी।

कुछ संबंधित प्रश्न

प्र. 1. अगर जाली हस्ताक्षर सही हस्ताक्षर से इतने मिलते जुलते हैं कि दोनोंमें फर्क करना सामान्यत: असम्भव हो तबभी क्या यह लागू होगा ?

उत्तर : हाँ तब भी यही लागू होगा। बैंक को अपने ग्राहक के

हस्ताक्षर मालूम होने चाहिए। अगर ग्राहक यह सिद्ध करता है कि हस्ताक्षर उसके नही हैं, तो बैंक को पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। यह तो बैंक के लिए एक व्यावसायिक जोखिम (OCCUPATIONAL HAZARD) है।

प्र.2 अगर जाली चेकोंका भुगतान होता गया, ग्राहक की पासबुक/पासशीटमें प्रविष्टियाँ हुईं बहुत समय बीत गया तथा ग्राहक के लेखा जोखा की लेखा परीक्षा (AUDIT) भी हो गयी तब भी ग्राहकके ध्यानमें जालसाज़ी की बात नहीं आयी। उसके बाद ग्राहक को उसका पता चला। तब क्या बैंक कह सकता हैकि ग्राहक को चाहिए था कि बैंक को तुरन्त इतल्ला करे और ऐसा न करने से ही नुकसान हुआ। ऐसी हालात में ग्राहक बैंक से पैसा वापस नहीं माँग सकता। संक्षेप में, क्या बैंक विबंध (ESTOPPEL) का मुद्दा उठा पाएगा ?

उत्तर : कोर्टने (केस-1) में कहा है कि विबंध तब लागू होगा जब ऐसी जालसाज़ी से बैंक को अवगत कराना ग्राहक का कर्तव्य हो, अन्यथा यह केवल लापरवाही मानी जाएगी जो कर्तव्य की परिधि में नहीं आएगी। अत: इस बहाने बैंक अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल सकता। दूसरे एक केसका उल्लेख करते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया है कि चेक बनाते हुए (जहाँ हस्ताक्षर असली हो), ग्राहक अगर कुछ ऐसे एहतियात नहीं बरतता, जिसकी वजह से कोई अन्य व्यक्ति जिसके हाथ यह चेक आए, ग्राहक के इरादेसे अधिक रकम लिखे, तब ऐसी लापरवाही के लिए ग्राहक जिम्मेदार होगा, जबतक हस्ताक्षर असली हो, अन्यथा नहीं।

प्र.3 अगर ग्राहक अपना चेकबुक ऐसे रखता है कि कोई भी आराम से चेक चुरा सके व गबन कर सके। क्या ऐसी स्थितियोंमें भी बैंक जिम्मेदार होगा ?

उत्तर : हाँ, बैंक को अपने ग्राहकके हस्ताक्षर मालूम होने चाहिए। असली हस्ताक्षर नहीं होंतो बैंकको ग्राहक से भुगतान के लिए कोई अधिदेश नहीं है व बैंक ग्राहक के खाते से भुगतान नहीं कर सकता। अगर किया हो तो ग्राहक का नुकसान बैंक को सहना पड़ेगा।

प्र.4 अगर खाता चलाने के लिए एकसे ज्यादा हस्ताक्षरकर्ताओं की आवश्यकता हो व चेक पर एक को छोड़ के बाकी सभी हस्ताक्षर सही हो तो भी क्या बैंक जिम्मेदार रहेगा ?

उत्तर : हाँ, अगर एक भी हस्ताक्षर जाली हो, तो बैंककी जिम्मेदारी होगी। इसी तरह केवल मुहर (STAMP) सही हो तो नहीं चलेगा सभी हस्ताक्षर भी सही होने चाहिए।

प्र.5 दुष्कृति के बारेमें जो कानून है (LAW OF TORTS), उसमें माना जाता है कि नौकरों से किए हुए कृत्य पर मालिक का प्रतिरूपी दायित्व (VICARIOUS LIABILITY) होता है। किसी नौकर ने अगर अपने मालिक के हस्ताक्षर चुरा के जाली चेक बनाए व रुपयोंका गबन स्वयं किया हो अथवा किसी सहअपराधीके साथ किया हो तो क्या प्रतिरूपी दायित्व की संकल्पना के अंतर्गत मालिक (यहाँ ग्राहक) खुद जिम्मेदार नहीं होगा ?

उत्तर : बैंक का ग्राहक का रिश्ता सामान्य विधि अथवा टार्ट पर नहीं, बल्कि संविदा पर निर्भर होता है जो टार्ट के अधिकारक्षेत्र (JURISDICTION) को निष्प्रभावी करता है। अत: प्रतिरूपी दायित्व का बहाना बनाकर बैंक अपनी जिम्मेदारीसे मुँह नहीं मोड़ सकता।

निष्कर्ष :अगर व्यक्तिगत अथवा आधिकारिक हैसियत (OFFICIAL CAPACITY) से आपके हस्ताक्षर की नकल करके कोई रुपया निकाल लेता है तो विचलित होने की जरूरतनहीं है, न ही चोर के पीछे भागने की; जो प्राय: बहुत मुश्किल काम है। आपके अधिदेश के बिना बैंक ने आपकी रकम किसी को दी हो, और आप अगर साबित कर सकते हों कि चेकके ऊपर आपके हस्ताक्षर नहीं थे, तो जिम्मेदारी बैंक की ही रहेगी।

मेरे लिखनेका मतलब यह नहीं है कि कोई लापरवाह रहे। तथापि ऐसे मामलों में कानून के नजरियेसे आपको अवगत करानेका यह एक विनम्र प्रयास है।